UPAU010008292026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी-**मयंक चौहान** (एच०जे०एस०)

(J.O CODE UP 2011)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-307/2026

सरमन लाल पुत्र स्व० रामेश्वर दयाल निवासी चन्हैया, थाना कुदरकोट, जिला औरैया।

............**प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...............**अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या-91/2025
धारा- 80(2), 85 बी०एन०एस०
व **धारा** ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना-कुदरकोट, **जनपद** औरैया

दिनांकः-10.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 307/2026, प्रार्थी/अभियुक्त **सरमन लाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 91/2025, अन्तर्गत धारा 80(2), 85 बी०एन०एस० व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कुदरकोट, जनपद औरैया के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. मामले की प्रथम सूचना रिपार्ट वादी मुकदमा रामनारायण द्वारा थाना कुदरकोट, जनपद औरैया में लिखित तहरीर देकर दिनांक 06.10.2025 को 00.38 बजे इस आशय की दर्ज करायी कि मैं रामनारायण सिंह पुत्र पान सिंह निवासी नगला बसत, मौजा ढकपुरा थाना भरथना जिला इटावा आपको अत्यंत दुख और क्षोभ के साथ सूचित करना चाहता हूं कि मेरी छोटी बहन रश्मि की शादी वर्ष अप्रैल 2021 में दान दहेज देकर खुशी खुशी बेटी को विदा किया था विवाह के दो महीने बाद से ही रश्मि को उसके पति करन सिंह और ससुर सरमन लाल व सास नाम नहीं मालूम है एवं ननद राखी, सोनी, राधा द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैने कई बार आपसी समझौते और समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी क्रूरता और लालच में कोई कमी नहीं आयी। आये दिन रश्मि को मारा पीटा जाता था और दहेज के लिए दबाव डाला जाता था। दिनांक 05.10.2025 को सुबह मुझे सूचना मिली कि मेरी बहिन रश्मि की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी है। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो पाया कि पूरा ससुराल पक्ष घर से फरार था और मेरी बहन का शव बेड पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट रूप से एक पूर्व नियोजित हत्या प्रतीत होती है, जो दहेज की मांग पूरी न होने के कारण की गई है। उक्त घटना को कारित करने के पूर्व संध्या पर मुझे ससुर सरमन सिंह का कॉल आया और कहा सुबह जल्दी से जल्दी आ जाओ अगर नहीं आये तो पूरे परिवार को जहर देकर जान से मार दूंगा और मेरी बहिन के चरित्र पर सवाल उठाये। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 85, 80(2), 351(2) बी०एन०एस०

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.03.10 15:41:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण करन सिंह, सरमनलाल, मृतका की सास नाम नामालूम, ननद राखी, ननद सोनी, ननद राधा उर्फ नीरू के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। वर्तमान मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.10.2025 को कोई घटना कारित नहीं की गयी। वह निर्दोष है। वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी रामबेटी की बीमारी से पीड़ित होने के कारण घटना से पूर्व दिनांक 02.10.2025 को ओम सांई डायनोस्टिक सेन्टर बिधूना के यहां अल्ट्रासाउण्ड कराने के लिए गया था और वही से रिश्तेदारी में अपनी बहिन के यहां चला गया था। प्रार्थी/अभियुक्त ने मृतका से किसी भी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की और न ही गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी, मुकदमा वादी से कोई विवाद नहीं हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र करन सिंह व उसकी पत्नी रश्मी के बीच कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती थी, जिससे रश्मी अपने पति व बच्चों को लेकर नोएडा जाकर सन 2025 में रहने लगी वहां पर करन सिंह की पत्नी रश्मी बिना बताये कहीं चली गयी जिसकी सूचना दिनांक 13.08.2025 को की गयी तथा खोजबीन करने पर दिनांक 29.08.2025 को रश्मी उसके दामाद दीपक शर्मा की खोजबीन पर थाना खोडा में पायी गायी जिसकी लिखा पढ़ी थाना खोड़ा में रश्मी व दीपक शर्मा व पुत्री नीरू के हस्ताक्षर किये गये और रश्मी को उसके पति के साथ ग्राम चन्हैया भेज दिया गया। उसने पुत्र व पुत्र की पत्नी रश्मी को काफी समझाया कि सही तरीके से रहो, कि तुम्हारे बच्चे है, उनका पालन पोषण करो। प्रार्थी की गैर मौजूदगी में रश्मी ने दिनांक 05.10.2025 को समय अज्ञात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मुझे दिनांक 06.10.2025 को मिली, तो प्रार्थी ने रश्मी के मायके के भाई रामनारायण को फोन से सूचना दी। वह दिनांक 24.10.2025 से जिला कारागार, इटावा में निरुद्ध है। वह स्नोपीलिया व लीवर डेमिज की बीमारी से जिला कारागार में पीड़ित है तथा श्वास रोग से भी पीड़ित है। उक्त मुकदमें में घटना के समय का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार केवल एक चोट के अलावा अन्य कोई चोट नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा दोनो नाती प्रार्थी की पुत्री के साथ रह रहे है। उसका उक्त घटना से कोई सरोकार वास्ता नहीं है। अतः निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी के द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की बहन रश्मि से अतिरिक्त दहेज में चालीस हजार रूपये व एक स्प्लेण्डर मोटर साइकिल की मांग की गयी और उक्त मांग पूरी न होने के कारण मारपीटकर फांसी के फन्दे पर लटकाकर उसकी दहेज हत्या कारित कर दी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की बहन रश्मि से अतिरिक्त दहेज में चालीस हजार रूपये व एक स्प्लेण्डर मोटर साइकिल की मांग की गयी और उक्त मांग पूरी न होने के कारण मारपीटकर फांसी के फन्दे पर लटकाकर उसकी दहेज हत्या कारित करने का आरोप है। मृतका रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु Asphyxia Due to Antemortem hanging से होना अंकित है। प्रार्थी/अभियुक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विशिष्ट भूमिका वर्णित नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का ससुर है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध सम्बन्धित थाने से वर्तमान मामले के अन्य कोई भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक

24.10.2025 से जिला कारागार, में निरुद्ध है। वर्तमान मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सरमन लाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 91/2025, अन्तर्गत धारा 80(2), 85 बी०एन०एस० व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कुदरकोट, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

दिनांक-10.03.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।
J.O CODE- UP 2011